अन्तिम विनियम

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन,शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर, 2004

क्रमांक – 2385 – म.प्र.वि.नि.आ. – 04, विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 127 सहपठित धारा 181 की उपधारा (2) की कंडिका (ZO) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अन्तिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया नियत भेजने के लिए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् –

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, विनियम 2004

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा निर्वचन

(1) यह विनियम मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम क्र. 1037 वर्ष 2004 कहा जावेगा ।

(2.) यह विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगा ।

(3) यह विनियम मध्यप्रदेश शासन के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. परिभाषाऐं –

इस विनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(अ) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003)

(ब) '' अपीलीय प्राधिकारी '' से अभिप्रेत वह प्राधिकारी जो केन्द्र शासन द्वारा अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (1) सह पठित धारा 176 की उपधारा 2 की कंडिका (U) के अन्तर्गत विहित की जावे

(स) '' आयोग'' से अभिप्रेत मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

(द) '' माह '' से अभिप्रेत केलेण्डर माह/देयक के उद्देश्य से दो निरन्तर मीटर रीडिंग के मध्य लगभग 30 दिवस की अवधि

(इ) प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है का अर्थ वही होगा जो उन्हें अधिनियम में प्रदत्त है । अन्य अभिव्यक्तियां जिनका प्रयोग यहां किया गया है किन्तु जो विशिष्ट रूप से इन विनियमों या अधिनियम में

परिभाषित नहीं हैं किन्तु राज्य के विद्युत उद्योग हेतु प्रयुक्त संसद द्वारा पारित किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, यथाप्रयुक्त होगी । उपर्युक्त के अधीन रहते हुए वे अभिव्यक्तियां जो यहां उपयोग की गई हों किन्तु न तो इन विनियमों में या अधिनियम में परिभाषित की गई हों न ही संसद द्वारा पारित किसी विधि में, वह अर्थ रखेंगी जो सामान्यतः विद्युत प्रदाय उद्योग में रखा जाता हो ।

3. अपील का प्रस्तुतिकरण

(1) अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश से परिवेदित कोई व्यक्ति आदेश के 30 दिवस की अवधि में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) अपील सारणी में नियत प्रारूप में की जावेगी ।

(3) अपील ज्ञापन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रारूप में रू. 5/– (पांच मात्र) के न्यायेतर स्टाम्प पर हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जावेगा ।

(4) अपील के साथ निम्न शुल्क देय होगा

निर्धारण राशि	शुल्क
रू. 1,00,000/– तक	निर्धारण राशि का 3%.न्यूनतम रू. 500/–
रू . 1,00,000/– से अधिक	निर्धारण राशि का 1%.न्यूनतम रू 3,000/–

(5) शुल्क इस प्रकार से देय होगा जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे ।

4. नियमित जानकारी

वितरण अनुज्ञप्तिधारक को प्रति तिमाही के एक माह के अन्दर आयोग को यह विवरण उपलब्ध कराना होगा कि कितने प्रकरण तिमाही के पूर्व निपटाये जाने थे, कितने प्रकरण तिमाही में प्राप्त हुए, कितने प्रकरण उनके अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा निपटाये गये तथा कितने प्रकरण तिमाही के पश्चात् बाकी रहे । जितने प्रकरण तिमाही पश्चात् बाकी रहेंगे उनका उम्रवार विवरण तैयार किया जायेगा, जैसे कि छ' माह से कम, 6 माह से अधिक, 6 माह से एक वर्ष तथा 1 वर्ष से अधिक एवम् यह जानकारी भी प्रत्येक स्तर के अपीलीय प्राधिकारियों जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गईं हैं जैसे

सहायक अभियंता/कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता इत्यादि के संबंध में आयोग को उपलब्ध कराई जावेगी ।

5. विविध

(1) विद्युत अधिनियम 2003 एवं इस विनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत आयोग समय–समय पर इन विनियमों के क्रियान्वयन तथा विभिन्न विषयों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में ऐसे आदेश जारी कर सकेगा तथा निर्देश प्रसारित कर सकेगा जिनके लिए इन विनियमों द्वारा आयोग को निर्देश जारी करने की शक्तियां दी गई हो,

(2) आयोग किसी भी समय इस विनियमके किसी प्रावधानो को बढ़ा सकेगा, परिवर्तित / बदल/सुधार या संशोधित कर सकेगा.

टीप :– इस अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया विनियम, 2004 के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

अनुसूची

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील.

निर्धारण अधिकारी के

अन्तिम आदेश क्र. ..... दिनांक ..... के विरूद्ध अपील.

श्री ..... स्थान .....

I के मध्य

1.

अपीलार्थी

(उपभोक्ता का पूर्व पता)

एस.सी.क्र., सेवा की श्रेणी सहित)

एवं

2. उत्तरदाता

(उत्तरदाता का पूरा पता)

i अनुज्ञप्तिधारी का नाम

ii निर्धारण अधिकारी

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अन्तर्गत अपील.

II निर्धारण अधिकारी के अन्तिम आदेश क्र. ..... वर्ष 200 ..... जो अपीलार्थी को ..... को प्राप्त हुआ से परिवेदित होकर उपरोक्त नामित अपीलार्थी निम्न आधारों पर अपील ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु निवेदन करता है ।

आधार.

1.

2.

3.

(प्रकरण के आधार दीजिए जिनके आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है तथा कारण बताइये कि अंतिम आदेश कायम रखने योग्य क्यों नहीं है)

III मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम 2004 की धारा 127 के अन्तर्गत अपील

का मूल्य रू. ..... है तथा शुल्क रू. ..... नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट क्र. ..... दिनांक ..... द्वारा जमा करा दिया गया है ।

IV अंतिम आदेश, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 (5) के अन्तर्गत दोनों पक्षकारों की सहमति से पारित नहीं किया गया था ।

V विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 (2) के अनुसार अपीलार्थी द्वारा राशि रू. ..... का 1/3 डिमाण्ड ड्राफ्ट क्र. ..... दिनांक ..... द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान किया जा चुका है । भुगतान का प्रमाण संलग्न है ।

VI प्रार्थना.

अतः यह प्रार्थना है कि .....

(अपीलार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर)

<u>सत्यापन</u>

मैं ..... घोषित करता हूं कि उपर्युक्त कंडिकाओं में जो कुछ कहा गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है तथा मैं उसकी सत्यता पर विश्वास करता हूं, सत्यापित एवं हस्ताक्षरित ..... पर ..... को

स्थान :

दिनांक :

(अपीलार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर)

अनुलग्नकों की सूची :

1. निर्धारण अधिकारी के आदेश की छायाप्रति.
2. शुल्क जमा कराने का संदर्भ.
3. निर्धारित राशि का 1/3 जमा कराने का संदर्भ.

:————: